Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)बनमनखी, पुर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं– 83 / 2015

सी. आई. एस. क्र.– 83 / 2015

त्रिफूल देवी बनाम कलजित मिस्त्री एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
25.09.2024	वादी की ओर से सी. पी. सी. के आदेश 39 नियम 1 के तहत दिनांक– 20 / 07 / 2023 को आवेदन दिया गया जिसकी प्रति प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया तदोपरान्त उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सूना गया तत्तपश्चात यहवाद आज उपरोक्त आवेदन पर आदेश हेतु निश्चित है। वादी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी संख्या– 01 आवेदक को तंग तबाह करने के नियत से वाद भूमि अपनी पत्नी निलम देवी के नाम से दिनांक– 08 / 12 / 2017 को विक्री कर दिया है। जिक कारण निलम देवी को इस वाद में पक्षकार बनाया गया। पूनः विपक्षी संख्या– 01 ने तकरारी जमीन सुनैना देवी के पक्ष में 18 / 08 / 2020 को केबाला किया है। इस प्रकार प्रतिवादी मूकदमे के दौरान विधि विरूद्ध कार्य कर रहे है। इौर विक्री कर वादिनी को वाद भूमि से बेदखल करना चाहते है। इसी स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध हस्तांतरण के मद्देनजर अस्थाई व्यादेश जारी करने की कृपा की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वादनी को अपूर्णीय क्षतिहोगी। अतः प्राथर्णा हैं कि प्रतिवादी को वाद भूमि में छेड़–छाड़ एवं खरीद–बिक्र करने से रोका जाए दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या– 01 के विद्वान अधिवक्ता विरोघ करते है तथा इनका कहना है कि वादी का दावा गलत तथ्यों पर आधारित है व तंग एवं तबाह करने की नियम से यह वाद लाया गया है। वादी का उपरोक्त आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए। अभिलेख अवलोकन से विपित है कि वादी द्वारा यह बटवारा वाद दिनांक 18 / 04 / 2015 को दाखिल किया गया जो दिनांक 16 / 07 / 2015 को ग्रहण करते हुए प्रतिवादी को सम्मन निगर्त किया गया। तथा प्रतिवादी के ससमय उपस्थित नही होने के कारण वाद अभिलेख दिनांक 06 / 06 / 2016 के आदेशानुसार एकपक्षिय बहस के दौरान दिनांक 04 / 01 / 2018 को प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन दिए तथा उभयपक्षों को सुनवाई के उपरान्त दिनांक 08 / 02 / 2018 को उक्त एकपक्षिय सुनवाई का आदेश खर्च के साथ वापस लिया गया। यह भी विपित है कि प्रतिवादी की ओर से ब्यान तहरीर दाखिल किया गया एवं वादी के आवेदन पर अन्य प्रतिवादी को इस वाद में दिनांक 17 / 06 / 2019 के आदेशानसार पक्षकार बनाया गया। वादी का वाद संक्षेप में यह है कि वादिनी एवं विपक्षी संख्या– 01 आपस में भाई बहन हैं इनके पिता विश्वनाथ उर्फ विशुनी मिस्त्री द्वारा अपने भाई बाला दास एवं परमेश्वर मिस्त्री के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भूमि की खरीद की गई थी तथा तीनों के बीच बँटवारा पश्चात वाद ग्रस्त भूमि विश्वानाथ मिस्त्री के हिस्से में आई जो इस वाद में Schedule– A के रूप में दर्ज है। यह भी कहा गया है कि विश्वनाथ मिस्त्री की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि विश्वानाथ मिस्त्री के विघवा सरस्वती देवी के नाम दर्ज हुई और इस प्रकार वादिनी विपक्षी एवं सरस्वती देवी संयुक्त दखलकार हुए। सरस्वती देवी की मृत्यु 1987 में हो गई। वाढ ग्रस्त भूमि संयुक्त दखल कब्जे में है। अबतक बटवारा नहीं हुआ है, वादिनी वाद भूमि में आधें भाग का हिस्सेदार है। यह भी कहा गया है कि वादिनी अपने हिस्से की माँग की लेकिन विपक्षी तैयार नही हुए अंततः प्रस्तुत स्वन्च वाद लाया गया। तथा प्राथर्णा किया गया कि वाद भूमि वादिनी के पक्ष्च में Degree करनें की कृपा की जाए। दूसरी ओर विपक्षी कलजीत मिस्त्री की ओर से ब्यान तहरीर दाखिल कर कहा गया है कि वादिनी का वाद पाने का काई कारण नही है। वाद के अन्य पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकी कथित विश्वनाथ उर्फ विशूनि मिस्त्री को अन्य पत्नीयाँ एवं वच्चे भी है। वादिनी Coparcener नही है वाद भूमि में इसका काई अंश नहीं है तथा वादिनी को क्षतिपूर्ति के रूप में वादिनी को भी सरस्वती देवी द्वारा वाद भूमि में अक्षआंश 83 Dismil, वादिनो के पक्ष में Gifted किया गया। तंग एवं परेशानकरने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद लाया गया है जो खरिज होने के काबिल है। उभयपक्षों के सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। विदित है कि वाद भूमि पैतृक संपत्ति है जिसके कई हिस्सेदार है तथा वादिनी द्वारा अपने हिस्से के लिए यह वाद लाया गया है। प्रतिवादी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वाद	

लगातार.......

T.S. 83/2015

लगातार
2024

के दौरान वाद की भूमि को अन्य के पक्ष में केवाला किया गया है परिणाम स्वरूप उन्हे भी इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। अब देखना यह है कि क्या प्रथम दृष्टय मामला वादी के पक्ष में हैं, दूसरा सुविधा सन्तुलन वादी के पक्ष में है व तृतीयत अस्थायी व्यादेश निर्गत न किए जाने से वादी को अपुरणीय क्षति होगी?

प्रथम दृष्टय मामला – वाद पत्र एवं लिखित कथन के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा यह वाद विभाजन हेतु लाया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वाद भूमि पैतृत सम्पत्ती है तथा वादिनी पूत्री है वादिनी एवं विपक्षी संख्या – 01 आपस में भाई बहन है ऐसी दसा में वाद भूमि में वादिनी का प्रथम दृष्टय अंष होना प्रतित होता हे जिसका अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाना आवष्यक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादिनी के पक्ष में होता प्रतित होता है।

सुविधा संतुलन– वाद भूमि वाद के दौरान बार–बार हस्तांतरित करने पर वादिनी को असुविधा होगी तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रतित होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह प्रतित होता है कि वाद के लंबित रहने के दौरान वाद भूमि को संरक्षित रखने का दायित्व न्यायालय का है। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा *52 में प्रावधान* किया गया है कि वाद के लंबित रहने के दौरान वाद ग्रस्त अचल सम्पत्ति को न्यायालय के आदेश एवं शर्तो के अधिन ही अंतरित किया जाएगा।

अतः उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह वाद भूमि को वाद के लंबित रहने के दौरान न्यायालय के अनुमति के बिना अंतरित नही करेंगे। इस आदेश में वर्णित मन्तव्य वाद के गुण एवं दोष के आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु विचार में नही लिया जाएगा। तदनुशार वादी का उपरोक्त आवेदन निष्पादित किया जाता है।

वाद दिनांक–21.10.2024 ~~को प्रस्तुत करें~~ वास्ते वाद बिन्दू निर्धारण हेतु

असैनिक न्या.कनीय कोटि
मुंसिफ, बनमनखी पूर्णियाँ